न्यायालय न्याायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–5 लखीमपुर–खीरी।

राधा देवी बनाम अजय

परिवाद सं–

थाना –कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 05/10/2021

पत्रावली पेश हुई । पुकार कराई गयी कोई भी पक्षकार उपस्थित नही । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित । कोई स्थगन प्रार्थना पत्र कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य 202 सी.आर०पी० सी हेतु दिनांक 13–03–2019 से नियत चली आ रही है । पक्षकारों को पूर्व मे कई बार अवसर प्रदान किया जा चुका है । परिवाद पर बल देने हेतु आज भी कोई उपस्थित नही है । परिवादनी की उदासीनता से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादनी परिवाद चलाने मे अभिरूचि नही रखती है । अतएव परिवाद बलहीन होने के आधार पर मेरे मत मे खारिज किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव मे अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफतर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–5 लखीमपुर खीरी ।
JO CODE UP–3562